



Sl. No. 115  
Date 20 SEP 2022

**शपथ-पत्र**

मैं, लक्ष्मी कुमारी पिता/पति मुकेश कुमार

उम्र 34 वर्ष, \*नगर निगम/\*नगर परिषद/\*नगर पंचायत मुजफ्फर नगर निगम के वार्ड संख्या 18

मोहल्ला गोला बांध रोड पोस्ट प्रधान इ. कंधर, थाना नगर, जिला मुजफ्फरपुर  
जंजी पासवान पथ

बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र \*नगर निगम/\*नगर परिषद/\*नगर पंचायत मुजफ्फर नगर निगम के वार्ड संख्या 18 के \*पार्षद/\*उप मुख्य पार्षद/\*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत \*नगर निगम/\*नगर परिषद/\*नगर पंचायत मुजफ्फर नगर निगम के वार्ड 18 के \*पार्षद/\*उप मुख्य पार्षद/\*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य है।

लक्ष्मी कुमारी

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर  
Adv. Ashok Shrivastava  
Adv.  
20/9/22

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर प्रशांत कुमार  
नाम- प्रशांत कुमार  
पता- काली रोड मुजफ्फरपुर

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर Vijay Kumar  
नाम- Vijay Kumar  
पता- h.s.l. Bandh Road,  
Muz.

स्थान : मुजफ्फरपुर

दिनांक : 20/9/22

The Deponent identified by Advocate has solemnly affirmed before me that the contents of the affidavit are true to the best of his/her knowledge

लगातार .....

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।  
नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर के सह उपस्थित

**AKHILESHWAR N. P.D. SINGH**  
NOTARY Muzaffarpur, Bihar

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा  
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मुजफ्फरपुर जिला के \*नगर निगम/\*नगर परिषद/\*नगर पंचायत ..... नगर निगम मुज०

के वार्ड संख्या ..... 18 ..... से \*पार्षद/\*उप मुख्य पार्षद/\*मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम- लक्ष्मी कुमारी

पति/पति का नाम- मुकेश कुमार

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्धदण्ड से दंडित किये गये हैं- नहीं

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:-

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- शु०

(ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- शु०

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति-  
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित) शु०

(iv) दिया गया दण्ड- शु०

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- शु०

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- शु०

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? शु०

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- शु०

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- शु०

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- शु०

(iv) यदि निष्पादित है, तो

(क) निष्पादन की तिथि- शु०

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- शु०

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- शु०

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- शु०

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge)

किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें-

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हों- शु०

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- शु०

क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर जैसे किसी लंबित ले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- **नहीं**

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- 22-2
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- 22-2
- (iii) अपराध संख्या 22-2
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- 22-2
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- 22-2

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कौडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- **नहीं**

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- 22-2
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- 22-2
- (iii) अपराध संख्या- 22-2
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- 22-2
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- 22-2

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण- **शुन्य**

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- **शुन्य**

(ii) शहरी भूमि- **शुन्य**

(iii) भवन- **शुन्य** **वागरे का मकान (दादा जी के नाम पर)**  
**भीगत लगतगा ६: तारत**

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद 30,000

(ii) बैंक बैलेन्स- 1257.30/- (अभ्यर्थी)  
(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)  
11652/- (पति)

(iii) फिक्स डिपोजिट  
(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

(iv) बॉण्ड, शेयर- 84816/- शेयर (पति)  
(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन  
(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण 6 सज्राम  
(पूर्ण विवरण दें) किमत लजजज 50,000/-

6. \*\* (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/  
वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ शुन्य (अभ्यर्थी)  
(प्रमाण-पत्रों के साथ)

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति शुन्य

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज

के नाम के साथ अंकित करें-  
माध्यमिक - रा.कृ. रमेशराणी अग्रवाल बालिका उच्चविद्यालय  
उच्चतर माध्यमिक - रामवृद्ध बेनीपुरी महिला महाविद्यालय, वर्ष-2003, प्रथम श्रेणी  
स्नातक - रामवृद्ध बेनीपुरी महिला महाविद्यालय, वर्ष-2005, द्वितीय श्रेणी  
मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजं  
तिथि- 21/9/22

लक्ष्मी कुमारी  
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।  
\*\* वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वैल्थ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/विक्री कर संबंधी बकाया।  
नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।  
स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।